RNI No. MAHBIL /2009/31730



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ८] बुधवार, मार्च २५, २०१५/चैत्र ४, शके १९३७ [पृष्ठे ११५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XIII OF 2015.

A BILL
TO PROVIDE FOR THE WITHDRAWAL OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF A PART OF THE FINANCIAL YEAR 2015-2016.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १३, सन् २०१५।

राज्य की संचित निधि तथा उसमें से वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के एक भाग के सेवाओं के लिए कुछ रकमें निकालने का उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि राज्य की संचित निधि तथा उसमें से वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के एक भाग के सेवाओं के लिए कुछ रकमें निकालने के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के छिसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१५ कहलाये । संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के लिये, ३ खरब, ५० अरब, ७७ करोड़, २३ लाख, ८९ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर तीन खरब, पचास अरब, सतहत्तर करोड़, तेईस लाख, नवासी हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०१६ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग ।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१६ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
			विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		सामान्य प्रशासन विभाग			
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद ।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्रि परिषद। ..	२,३४,५०,०००	२,०९,९६,०००	४,४४,४६,०००
ए-२	निर्वाचन ।	.. २०१५, निर्वाचन। ..	४७,४१,९७,०००		४७,४१,९७,०००
ए-३	लोकसेवा आयोग ।	.. २०५१, लोक सेवा आयोग । ..	४,००,०००	१५,००,००,०००	१५,०४,००,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। ..	५१,२३,४७,०००	१८,०००	५१,२३,६५,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ। ..	२९,१५,०४,०००		२९,१५,०४,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार ।	.. २२२०, सूचना तथा प्रचार। ..	१४,२६,५२,०००	१७,०००	१४,२६,६९,०००
ए-७	सिविल विमानन ।	.. ३०५३, सिविल विमानन । ..	३४,०६,७३,०००		३४,०६,७३,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ..	१,७८,५२,२३,०००	१७,१०,३१,०००	१,९५,६२,५४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)		(३)			(४)		
						रुपये	रुपये	रुपये
			गृह विभाग					
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	..	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।		..	१९,३४,१२,८२,०००		१९,३४,१२,८२,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क ।	..	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।		..	२२,२१,१२,०००		२२,२१,१२,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन ।	..	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, अन्तरदेशीय जल परिवहन।		..	२,१६,७३,५६,०००		२,१६,७३,५६,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	..	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।		..	६,९४,५७,०००		६,९४,५७,०००
बी-५	जेल।	..	२०५६, जेल।		..	३८,५२,९५,०००		३८,५२,९५,०००
बी-६	सामान्य-सामाजिक सेवाएँ।	..	२२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।		..	१,०८,३४,०००		१,०८,३४,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	..	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन । ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।		..	१५,१२,३५,०००		१५,१२,३५,०००
बी-८	बाढ़ नियंत्रण परियोजना।		२७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजना		..	६०,३२,०००		६०,३२,०००
बी-९	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		..	५,०००		५,०००
				कुल—गृह विभाग।	..	२२,३५,३६,०८,०००		२२,३५,३६,०८,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	..	२,८९,७५,७०,०००	१,४२,०००	२,८९,७७,१२,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन ।	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन ।	..	३२,६१,२३,०००	१,०००	३२,६१,२४,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..	...	३०,०००	३०,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय---सामान्य सेवाएँ । २०५९, लोक निर्माण कार्य । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	..	१६,६५,१२,०००	३७,५१,०००	१७,०२,६३,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	..	२,९७,९८,०००	२,०००	२,९८,००,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	..	२१,६३,५५,८७,०००	४,०००	२१,६३,५५,९१,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २५५१, पहाडी क्षेत्र ।	..	२,७०,००,२९,०००	८,०००	२,७०,००,२९,०००
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	...	६३,०००	६३,०००
		कुल--राजस्व तथा वन विभाग ।	..	२७,७५,५६,११,०००	४०,०१,०००	२७,७५,९६,१२,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	१६,२०,०००		१६,२०,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	२४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।	..	५,९८,२१,००,०००	१,३०,०००	५,९८,२२,३०,०००
डी-४	पशुपालन ।	२४०३, पशुपालन ।	..	१,४१,०७,००,०००	३०,०००	१,४१,०७,३०,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	..	८०,२८,००,०००	८,००,०००	८०,३६,००,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	..	१७,२५,००,०००	२५,०००	१७,२५,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	..	३,५५,९०,०००		३,५५,९०,०००
		कुल---कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	८,४०,५३,१०,०००	९,८५,०००	८,४०,६२,९५,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
इ-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	८०,३६,७६,२९,०००	१,५६,०००	८०,३६,७७,८५,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	३९,१७,५८,०००	...	३९,१७,५८,०००
		कुल---विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	..	८०,७५,९३,८७,०००	१,५६,०००	८०,७५,९५,४३,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-१	ब्याज अदायगियाँ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		८,०००	८,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	९,६०,७९,२४,०००	२३,०००	९,६०,७९,४७,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय----सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	२६,४९,३५,०००		२६,४९,३५,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		१,७२,३९,९१,०००		१,७२,३९,९१,०००
		कुल---नगरविकास विभाग।	..	११,५९,६८,५०,०००	३१,०००	११,५९,६८,८१,०००

वित्त विभाग

जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण । २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१,०९,४५,२१,०००	४०,०००	१,०९,४५,६१,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०४७, अन्य वित्तीय सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२१६, आवास।	..	२१,०८,५६,०००		२१,०८,५६,०००
जी-४	सचिवालय ----सामान्य सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय - सामान्य सेवाएँ।	..	६,०९,८४,०००		६,०९,८४,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। ..	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	४५,२३,७२,०००	३३,०००	४५,२४,०५,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५,सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	८,७४,४८,०००		८,७४,४८,०००
		कुल---वित्त विभाग ।	..	१,९०,६१,८१,०००	७३,०००	१,९०,६२,५४,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	५,४८,९७,०००	५,४८,९७,०००
एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२०,८३,०००		२०,८३,०००
एच-३	आवास। ..	२२१६, आवास।	..	४२,८५,५३,०००		४२,८५,५३,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमामन। ३४५१, सचिवालय -- आर्थिक सेवाएँ।	..	८,२९,७७,०००		८,२९,७७,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	..	४,११,८४,४४,०००	२,५०,०००	४,११,८६,९४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		..	४,१६,२१,८८,०००	१,०७,८३,०००	४,१७,२९,७१,०००
			कुल---लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	..	८,७९,४२,४५,०००	६,५९,३०,०००	८,८६,०१,७५,०००
		जलस्रोत विभाग					
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ।		..		१८,२२,८३,०००	१८,२२,८३,०००
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	.. २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		..	३३,३३,०००		३३,३३,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान		..	३,६०,५४,१९,०००		३,६०,५४,१९,०००
आय-४	सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	.. ३४५१, सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।		..	६,४९,८०,०००		६,४९,८०,०००
			कुल---जलस्रोत विभाग।	..	३,६७,३७,३२,०००	१८,२२,८३,०००	३,८५,६०,१५,०००

			विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	..	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	२,३२,१७,५६,०००	४४,२५,९४,०००	२,७६,४३,५०,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ ।		२०५२, सचिवालय---सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१४,१४,७६,०००		१४,१४,७६,०००
जे-३	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	४८,००,०००		४८,००,०००
			कुल---विधि तथा न्याय विभाग।	..	२,४६,८०,३२,०००	४४,२५,९४,०००	२,९१,०६,२६,०००
			उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	९,३९,००,०००		९,३९,००,०००
के-२	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		१,८०,००,०००	१,८०,००,०००
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।		२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	..	४५,५९,१६,०००	३३,०००	४५,५९,४९,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन।	..	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	२८,९३,४८,०००		२८,९३,४८,०००
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	..	३,३३,०००		३,३३,०००
के-६	ऊर्जा।		२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	..	१०,१३,९९,००,०००	...	१०,१३,९९,००,०००
के-७	उद्योग ।		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	..	७,८५,८७,७४,०००	४६,११,६७,०००	८,३१,९९,४१,०००
के-८	सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१, सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	..	४,५८,३७,०००		४,५८,३७,०००
			कुल---उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	१८,८८,४०,०८,०००	४७,९२,००,०००	१९,३६,३२,०८,०००
			ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		१,४६,०५,७०,०००	१,४६,०५,७०,०००
एल-२	जिला प्रशासन।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	५,२८,१८,९६,०००		५,२८,१८,९६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सडक तथा पुल ।	..	७,१४,२३,४३,०००	४२,०००	७,१४,२३,८५,०००
एल-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ..	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	४,४३,६२,०००		४,४३,६२,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	१,००,४९,८४,०००	९६,६७,५६,०००	१,९७,१७,४०,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	..	१३,४७,३५,८५,०००	२,४२,७३,६८,०००	१५,९०,०९,५३,०००
	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,६६,०००		१,६६,०००
एम-२	खाद्य। ..	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	..	१,९१,२७,८३,०००	५०,०००	१,९१,२८,३३,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	११,०७,६९,०००		११,०७,६९,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	२,०२,३७,१८,०००	५०,०००	२,०२,३७,६८,०००

			सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..		३,३९,४३,०००	३,३९,४३,०००
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।		२०५३, जिला प्रशासन। २२१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	७०,७९,६९,०००		७०,७९,६९,०००
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण ।		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	१५,४६,२४,५०,०००	८४,०००	१५,४६,२५,३४,०००
			कुल---सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	१६,१७,०४,१९,०००	३,४०,२७,०००	१६,२०,४४,४६,०००
			योजना विभाग				
ओ-१	जिला प्रशासन।	..	२०५३, जिला प्रशासन।	..	३४,३३,३४,०००		३४,३३,३४,०००
ओ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	६०,०००		६०,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन।	..	२५०५, ग्राम नियोजन।	..	४,०६,१३,८४,०००	२,००,००,०००	४,०८,१३,८४,०००
ओ-४	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।	..	२,००,०००		२,००,०००
ओ-५	पहाड़ी क्षेत्र।	..	२५५१, पहाड़ी क्षेत्र।	..	७३,०७,०००		७३,०७,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	..	१,०८,३३,०००		१,०८,३३,०००
ओ-७	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	..	१०,३९,३२,०००	७३,३८,०००	११,१२,७०,०००
ओ-८	पर्यटन।	..	३४५२, पर्यटन।	..	१९,९०,३०,०००		१९,९०,३०,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	..	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	..	८,३१,३७,०००	१,०००	८,३१,३८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संधारण । २४०३, पशुपालन। २४०४,दुग्ध उद्योग विकास। २४०५ मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन।	..	११,३२,०६,०००	...	११,३२,०६,०००

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण।
२२३०, श्रम तथा नियोजन।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१५	जिला योजना - मुंबई उपनगर।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	३२,३७,६९,०००	...	३२,३७,६९,०००

	२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।				
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२११, परिवार कल्याण ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१६, आवास ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांको का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२२३६, पोषण ।	..	२८,३४,९२,०००	...	२८,३४,९२,०००
ओ-१६	जिला योजना - ठाणे				
	२४०१, कृषि कर्म ।				
	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।				
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
	२५०५, ग्राम नियोजन ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंके का कल्याण।			

	२२३०, श्रम तथा नियोजन।					
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।					
	२२३६, पोषण ।					
	२४०१, कृषि कर्म ।					
	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।					
	२४०३, पशुपालन।					
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।					
	२४०५, मत्स्य उद्योग।					
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।					
	२४२५, सहकारिता ।					
ओ-१७	जिला योजना - रायगड।	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	..	१७,८७,२६,०००	...	१७,८७,२६,०००
		२५०५, ग्राम नियोजन।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
		२७०२, लघु सिंचाई ।				
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।				
		३०५४, सड़क तथा पुल।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।				
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१८	जिला योजना - रत्नागिरी।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकोंका कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मदा तथा जल संरक्षण २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	..	१८,६१,९४,०००	...	१८,६१,९४,०००

२५०५, ग्राम नियोजन।
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकेका कल्याण।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१९	जिला योजना - सिंधुदुर्ग।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृद तथा जल सरक्षण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	१५,१८,३६,०००	...	१५,१८,३६,०००

	२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।				
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२११, परिवार कल्याण ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१६, आवास ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
ओ-२०	जिला योजना - पुणे ।	..	५०,१०,८४,०००	...	५०,१०,८४,०००
	२२३६, पोषण ।				
	२४०१, कृषि कर्म ।				
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
	२५०५, ग्राम नियोजन ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार।			

	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण ।					
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।					
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।					
	२२३६, पोषण ।					
	२४०१, कृषि कर्म ।					
	२४०३, पशुपालन ।					
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।					
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।					
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।					
ओ-२१	जिला योजना - सतारा ।	२४२५, सहकारिता ।	..	३२,५४,७८,०००	...	३२,५४,७८,०००
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
		२५०५, ग्राम नियोजन ।				
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
		२७०२, लघु सिंचाई ।				
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।				
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।				
		३०५४, सड़क तथा पुल ।				
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।				
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।				
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
		३४५२, पर्यटन ।				
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-२२	जिला योजना–सांगली ।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	..	२४,८०,४८,०००	...	२४,८०,४८,०००

२५०५, ग्राम नियोजन।
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२३	जिला योजना - सोलापुर।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	४२,०१,४०,०००	...	४२,०१,४०,०००

		२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११, परिवार कल्याण ।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१६, आवास ।			
		२२१७, नगर विकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंको का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
ओ-२४	जिला योजना - कोल्हापुर ।	२२३६, पोषण ।	..	२७,८२,४९,०००	... २७,८२,४९,०००
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	
			रुपये	रुपये
		२७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार।		

ओ-२५	जिला योजना -नासिक।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंको का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	३७,५१,९८,०००	...	३७,५१,९८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना -धुलिया।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता ।	..	१५,९८,८२,०००	...	१५,९८,८२,०००

२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
२५०५, ग्राम नियोजन।
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंको का कल्याण।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२७	जिला योजना -जलगाँव।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	३०,६१,८३,०००	...	३०,६१,८३,०००

	२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१६, आवास ।			
	२२१७, नगर विकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।	३९,६५,९५,०००	...	३९,६५,९५,०००
ओ-२८	जिला योजना -अहमदनगर ।			
	२४०१, कृषि कर्म ।			
	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण			
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
	२५०५, ग्राम नियोजन ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार।			

		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण			
		२४०३, पशुपालन।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग।			
ओ-२९	जिला योजना -नंदुरबार।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	९,८१,५१,०००	... ९,८१,५१,०००
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।			
		३०५४, सड़क तथा पुल।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना -औरंगाबाद।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	३०,९८,७८,०००	...	३०,९८,७८,०००

२४२५, सहकारिता ।
२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
२५०५, ग्राम नियोजन ।
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।
३०५४, सड़क तथा पुल ।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा ।
२२०३, तकनीकी शिक्षा ।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।
२२०५, कला तथा संस्कृति ।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
२२११, परिवार कल्याण ।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास ।
२२२०, सूचना तथा प्रचार ।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३१	जिला योजना -जालना।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	२३,५९,९१,०००	...	२३,५९,९१,०००

	२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१६, आवास ।			
	२२१७, नगर विकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
ओ-३२	जिला योजना -परभणी ।	२४०१, कृषि कर्म ।	१५,८६,७४,०००	१५,८६,७४,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।		
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।		
		२४०३, पशुपालन ।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
		२४२५, सहकारिता ।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
		२५०५, ग्राम नियोजन ।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
		३७०२, लघु सिंचाई ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			

		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२३६, पोषण ।		
		२४०१, कृषि कर्म ।		
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।		
		२४०३, पशुपालन ।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
		२४२५, सहकारिता ।		
ओ-३२	जिला योजना -नांदेड ।	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	३१,०५,५०,०००	३१,०५,५०,०००
		२५०५, ग्राम नियोजन ।	...	
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
		२७०२, लघु सिंचाई ।		
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।		
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५२, पर्यटन ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
ओ-३४	जिला योजना -बीड।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन।	..	३२,२०,९६,०००	...	३२,२०,९६,०००

२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगरविकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३५	जिला योजना -लातूर।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	२४,२२,४३,०००	...	२४,२२,४३,०००

		२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११, परिवार कल्याण ।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१६, आवास ।			
		२२१७, नगर विकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।	..	१८,११,८४,०००	१८,११,८४,०००
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।			
ओ-३६	जिला योजना -उस्मानाबाद ।		...	...	...

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			

		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
ओ-३७	जिला योजना -हिंगोली ।	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।	..	१२,७६,२३,०००	
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
			...	१२,७६,२३,०००	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना -नागपुर।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन।	..	३४,०६,५६,०००	...	३४,०६,५६,०००

२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
२२३०, श्रम तथा नियोजन।
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३९	जिला योजना -वर्धा।	२२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	१७,५०,७८,०००	...	१७,५०,७८,०००

		२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११, परिवार कल्याण ।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१६, आवास ।			
		२२१७, नगरविकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
ओ-४०	जिला योजना -भंडारा ।	२४०१, कृषि कर्म ।	..	१२,१८,७८,०००	... १२,१८,७८,०००
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			

		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
ओ-४१	जिला योजना -चंद्रपुर ।	२५०५, ग्राम नियोजन ।	..	२०,२९,८८,०००	...
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना -गढ़चिरोली।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा रोजगार। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन।	..	२०,७०,८९,०००	...	२०,७०,८९,०००

२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगरविकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४३	जिला योजना -गोंदिया ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	..	१२,९३,८७,०००	...	१२,९३,८७,०००

	२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।				
	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२११, परिवार कल्याण ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१६, आवास ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२२३६, पोषण ।	..	३०,०५,१७,०००	...	३०,०५,१७,०००
	२४०१, कृषि कर्म ।				
	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।				
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
	२५०५, ग्राम नियोजन ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				
	२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।				
ओ-४४	जिला योजना -अमरावती ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।			

		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२३६, पोषण ।		
		२४०१, कृषि कर्म ।		
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।		
		२४०३, पशुपालन ।		
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
		२४२५, सहकारिता ।		
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
ओ-४५	जिला योजना -अकोला ।	२५०५, ग्राम नियोजन ।	१८,२९,९३,०००	१८,२९,९३,०००
		२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।	...	
		२७०२, लघु सिंचाई ।		
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।		
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५२, पर्यटन ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना -यवतमाल।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास । २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई ।	२३,४९,७५,०००	...	२३,४९,७५,०००

२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।
३०५१, पत्तन तथा दीपगृह।
३०५४, सड़क तथा पुल।
३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।
३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।
२२०२, सामान्य शिक्षा।
२२०३, तकनीकी शिक्षा।
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।
२२११, परिवार कल्याण।
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।
२२१६, आवास ।
२२१७, नगर विकास।
२२२०, सूचना तथा प्रचार।
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।
२२३०, श्रम तथा नियोजन।
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
२२३६, पोषण ।
२४०१, कृषि कर्म ।
२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण।
२४०३, पशुपालन।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४७	जिला योजना -बुलढाणा।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम । २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	२९,१०,८३,०००	...	२९,१०,८३,०००
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता।			

		२२१६, आवास ।			
		२२१७, नगरविकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
ओ-४८	जिला योजना -वाशिम ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	१६,९१,३४,०००	
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोत ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
				१६,९१,३४,०००	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		संसदीय कार्य विभाग				
पी-१	सचिवालय---सामान्य सेवाएँ।	.. २०५२, सचिवालय---सामान्य सेवाएँ।	..	३३,८७,०००		३३,८७,०००
		कुल—संसदीय कार्य विभाग।	..	३३,८७,०००		३३,८७,०००
		आवास विभाग				
क्यू-१	ब्याज अदायगियाँ ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..	...	१,००,००,०००	१,००,००,०००
क्यू-२	प्रशासनिक सेवाएँ ।	.. २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।	..	११,५७,०००		११,५७,०००
क्यू-३	आवास ।	.. २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	८३,२१,८५,०००		८३,२१,८५,०००
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ ।	.. ३४५१, सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ ।	..	१,३०,०९,०००		१,३०,०९,०००
		कुल—आवास विभाग ।	..	८४,६३,५१,०००	१,००,००,०००	८५,६३,५१,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	.. २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१०,८७,०२,१८,०००	९,५०,०००	१०,८७,११,६८,०००
आर-२	सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	.. २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	२,३९,३८,०००		२,३९,३८,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	१०,८९,४१,५६,०००	९,५०,०००	१०,८९,५१,०६,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	.. २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।	..	३,४३,३२,३०,०००	१६,०००	३,४३,३२,४६,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	.. २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	५,००,०००	...	५,००,०००
एस-३	सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ	.. २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	१,४८,४७,०००	...	१,४८,४७,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	..	३,४४,८५,७७,०००	१६,०००	३,४४,८५,९३,०००

		२०५९, लोकनिर्माण कार्य ।			
		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११, परिवार कल्याण ।			
		२२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१६, आवास ।			
		२२१७, नगरविकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।	..	१३,७२,९२,०००	... १३,७२,९२,०००
		२४०१, कृषि कर्म ।			
		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५०५, ग्राम नियोजन ।			
		२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोत ।			
ओ-४९	जिला योजना -पालघर ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)		(३)		(४)			
					रुपये	रुपये	रुपये	
			२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।					
				कुल---योजना विभाग ।	..	१३,५३,६७,५७,०००	२,७३,३९,०००	१३,५६,४०,९६,०००
			जनजाति विकास विभाग					
टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		..	...	५,४१,७७,०००	५,४१,७७,०००
टी-२	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण ।		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २४२५, सहकारिता ।		..	२,१४,२१,२०,०००	...	२,१४,२१,२०,०००
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		..	३,५०,०००	...	३,५०,०००
टी-४	सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।		..	२,४६,३३,०००	...	२,४६,३३,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय ।		२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास।					

			२२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।	..	८,०२,०१,७२,०००		८,०२,०१,७२,०००
			कुल---जनजाति विकास विभाग ।	..	१०,१८,७२,७५,०००	५,४१,७७,०००	१०,२४,१४,५२,०००
			पर्यावरण विभाग				
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	७२,०२,०००	७२,०२,०००
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		१०,०००	...	१०,०००
यू-३	सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	५५,०८,०००	...	५५,०८,०००
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।		३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	..	१,८४,९०,०००	...	१,८४,९०,०००
			कुल---पर्यावरण विभाग ।	..	२,४०,०८,०००	७२,०२,०००	३,१२,१०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
		२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।				
वी-२	सहकारिता।	२२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	..	३,०६,८८,१३,०००	३५,०००	३,०६,८८,४८,०००
		कुल---सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	३,०६,८८,१३,०००	३५,०००	३,०६,८८,४८,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	.. २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	२६,५३,०९,०००	२६,५३,०९,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	७,६७,६२,३८,०००	३३,०००	७,६७,६२,७१,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	.. २२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	२,८६,६१,८६,०००	३६,०००	२,८६,६२,२२,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	.. २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	१,३१,८१,१८,०००	२,५०,०००	१,३१,८३,६८,००,०००
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	.. २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६,९३,०००	...	६,९३,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ ।	.. २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	५,०५,५६,०००	...	५,०५,५६,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	१,८४,३५,०००	...	१,८४,३५,०००
		कुल--- उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	..	११,९३,०२,२६,०००	२६,५६,२८,०००	१२,१९,५८,५४,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण ।	..	४,९८,७८,४६,०००	...	४,९८,७८,४६,०००
एक्स-२	सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	.. २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	१,५९,७६,०००	...	१,५९,७६,०००
		कुल--- महिला तथा बाल विकास विभाग।	..	५,००,३८,२२,०००	...	५,००,३८,२२,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	२,५३,१७,०००	२,५३,१७,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	..	४,७२,६४,८०,०००	५,८३,०००	४,७२,७०,६३,०००
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,००,०००	...	१,००,०००
वाय-४	लघु सिंचाई।	..	२७०२, लघु सिंचाई।	..	५,४४,७२,०००	...	५,४४,७२,०००
वाय-५	सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	..	३४५१, सचिवालय---आर्थिक सेवाएँ।	..	१,७४,९०,०००	...	१,७४,९०,०००
			कुल--- जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	..	४,७९,८५,४२,०००	२,५९,००,०००	४,८२,४४,४२,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग

जेड-क-१	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।		२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	७,६५,९५,०००	...	७,६५,९५,०००
जेड-क-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२,५०,०००	...	२,५०,०००
			कुल--- कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग ।	..	७,६८,४५,०००	...	७,६८,४५,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।		२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	..	२४,००,००,०००	२०,००,०००	२४,२०,००,०००
जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,२०,०००	...	१,२०,०००
			कुल--- महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	..	२४,०१,२०,०००	२०,००,०००	२४,२१,२०,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ ।		२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ ।	..	१,०६,१९,०००	...	१,०६,१९,०००
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति ।		२२०५, कला तथा संस्कृति ।	..	२९,९४,००,०००	...	२९,९४,००,०००
जेड घ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	..	१,२०,०००	...	१,२०,०००
जेड घ-४	पर्यटन ।		३४५२, पर्यटन ।	..	४८,००,००,०००	...	४८,००,००,०००
			कुल--- पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	..	७९,०१,३९,०००	...	७९,०१,३९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ङ -१	अल्पसंख्यक विकास ।	२०५२, सचिवालय---सामान्य सेवाएँ । २०५३, जिला प्रशासन । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		४७,५३,११,०००	...	४७,५३,११,०००
		कुल--- अल्पसंख्यक विकास विभाग।	..	४७,५३,११,०००	...	४७,५३,११,०००
		मराठी भाषा विभाग				
जेड च-१	सचिवालय---सामान्य सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय---सामान्य सेवाएँ ।		१,८३,०६,०००	...	१,८३,०६,०००
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		९५,१९,०००	...	९५,१९,०००
जेड च-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		६०,०००	...	६०,०००
		कुल--- मराठी भाषा विभाग।	..	२,७८,८५,०००	...	२,७८,८५,०००
		कुल ----- क-राजस्व लेखे पर व्यय ।		२,८५,४०,२१,२३,०००	४,२०,०९,७६,०००	२,८९,६०,३०,९९,०००
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-९	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१२,१३,३३,०००	...	१२,१३,३३,०००
ए-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	३५,३४,०००	...	३५,३४,०००
		कुल---सामान्य प्रशासन विभाग।	..	१२,४८,६७,०००	...	१२,४८,६७,०००
		गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय ।		१,७४,५५,२५,०००	...	१,७४,५५,२५,०००
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		२१,६६,९९,०००	...	२१,६६,९९,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजिनाओं के लिए कर्ज।	६७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजिनाओं के लिए कर्ज।	..	१,१६,६७,०००	...	१,१६,६७,०००
		कुल---- गृह विभाग।	..	१,९७,३८,९१,०००	...	१,९७,३८,९१,०००

		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।	..	१६,७३,०००	८३,०००	१७,५६,०००
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	..	२५,०९,६०,०००	...	२५,०९,६०,०००
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। ..	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	३०,०००	३०,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।..	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	१५,५०,२२,०००	...	१५,५०,२२,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	४०,७६,५५,०००	१,१३,०००	४०,७७,६८,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत व्यय।	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		१,२८,००,०००	...	१,२८,००,०००
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत व्यय।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।		७,५८,००,०००	...	७,५८,००,०००
डी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		३,८७,४०,०००	...	३,८७,४०,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।		१२,७३,४०,०००	...	१२,७३,४०,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		१८,८९,०८,०००	...	१८,८९,०८,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारियों, आदि को ऋण।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों, आदि को ऋण।		१,०१,४४,०००	...	१,०१,४४,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग	..	१९,९०,५२,०००	...	१९,९०,५२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		नगरविकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१७,०००	...	१७,०००
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज ।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	..	१,७५,००,०००	...	१,७५,००,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	४२,६९,०००	...	४२,६९,०००
		कुल---नगर विकास विभाग	..	२,१७,८६,०००	...	२,१७,८६,०००
		वित्त विभाग				
जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीकृत परिव्यय।	..	३,३३,३४,०००	...	३,३३,३४,०००
जी-९	लोक ऋण और अन्तर राज्यीय बंदोबस्त।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। ६००४, केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम। ७८१०, अंतर राज्यीय बंदोबस्त ।		...	३९,००,००,०००	३९,००,००,०००
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		३,०८,३६,०००	...	३,०८,३६,०००
		कुल---वित्त विभाग।	..	६,४१,७०,०००	३९,००,००,०००	४५,४१,७०,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		३,७७,४७,९९,०००	...	३,७७,४७,९९,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,५४,६७,४२,०००	१२,५७,०००	१,५४,७९,९९,०००

			४२५०,	अन्य सामाजिक सवाआ पर पूजागत पारव्यय।				
			४४०५,	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।		४२०२,	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१६,०२,६९,०००	...	१६,०२,६९,०००
			४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-१०	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	..	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।		...	१९,१९,६०,०००	१९,१९,६०,०००
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज ।	..	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५,१२,५४,०००	...	५,१२,५४,०००
				कुल---लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	५,५३,३०,६४,०००	१९,३२,१७,०००	५,७२,६२,८१,०००
				जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४४०२,	मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१०,५५,२८,८०,०००	२,३३,०००	१०,५५,३१,१३,०००
			४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।		६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।		...	४९,१०,९४,०००	४९,१०,९४,०००
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	९,०१,६७,०००	...	९,०१,६७,०००
				कुल---जलस्रोत विभाग।	..	१०,६४,३०,४७,०००	४९,१३,२७,०००	११,१३,४३,७४,०००
				विधि तथा न्याय विभाग				
जे-४	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।		४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		५०,००,०००	...	५०,००,०००
जे-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		३,३६,००,०००	...	३,३६,००,०००
				कुल---विधि तथा न्याय विभाग।	...	३,८६,००,०००	...	३,८६,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८,	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय।	२,७७,००,०००	...	२,७७,००,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	१०,१४,८१,०००	...	१०,१४,८१,०००
		४८७५,	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।			
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	१,२५,६७,५०,०००	...	१,२५,६७,५०,०००
		६८०१,	विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।			
के-१२	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	...	१६,९८,००,०००	१६,९८,००,०००
के-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	९६,७१,०००	...	९६,७१,०००
			कुल---उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग । ..	१,३९,५६,०२,०००	१६,९८,००,०००	१,५६,५४,०२,०००
		ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग				
एल-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	...	१,११,११,०००	१,११,११,०००
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	३,८०,८८,३४,०००	...	३,८०,८८,३४,०००
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय ।			
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।			
		५०५४,	सडक तथा ब्रीज पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२१६,	आवास के लिए कर्ज।			
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	८८,३२,०००	...	८८,३२,०००
			कुल---ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग। ..	३,८१,७६,६६,०००	१,११,११,०००	३,८२,८७,७७,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-४	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८,	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	८,७०,०९,१२,०००	...	८,७०,०९,१२,०००

एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		२९,१७,०००	...	२९,१७,०००
एम-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		४६,११,०००	...	४६,११,०००
			कुल---खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।	..	८,७०,८४,४०,०००	...	८,७०,८४,४०,०००
			सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		२,२४,९८,३३,०००	...	२,२४,९८,३३,०००
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यको के कल्याण के लिये कर्ज।				
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		२४,९९,०००	...	२४,९९,०००
			कुल---सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	..	२,२५,२३,३२,०००	...	२,२५,२३,३२,०००
			योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		१२,९९,००,०१,०००	...	१२,९९,००,०१,०००
		५४५२,	पर्यटन व पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-११	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय । ..	४५५१,	पहाड़ी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१५,०८,३३,०००	...	१५,०८,३३,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५,	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	..	१०,७३,१०,०००	...	१०,७३,१०,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	..	१६,५८,०००	...	१६,५८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना--- मुंबई शहर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज ।	५,३४,६१,०००		५,३४,६१,०००

	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
ओ-१५	जिला योजना--- मुंबई उपनगर ।	७,४५,६५,०००		७,४५,६५,०००
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।			
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१६	जिला योजना--- ठाणे ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज ।	१३,७०,५८,०००		१३,७०,५८,०००

ओ-१७	जिला योजना--- रायगड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	७,०४,२४,०००		७,०४,२४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१८	जिला योजना--- रत्नागिरी ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज ।	७,६२,९०,०००		७,६२,९०,०००

ओ-१९	जिला योजना--- सिंधुदुर्ग ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	५,६४,९८,०००	५,६४,९८,०००
		४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२०	जिला योजना--- पुणे ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगो के लिए कर्ज ।	२०,१४,१६,०००		२०,१४,१६,०००

	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
ओ-२१	जिला योजना--- सतारा ।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	१०,०९,२२,०००	१०,०९,२२,०००
		४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२२	जिला योजना--- सांगली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रिडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	८,२७,८६,०००		८,२७,८६,०००

ओ-२३	जिला योजना--- सोलापुर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	११,५९,६१,०००		११,५९,६१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२४	जिला योजना--- कोल्हापुर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	९,९२,५१,०००		९,९२,५१,०००

ओ-२५	जिला योजना--- नासिक ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	१४,६७,६९,०००		१४,६७,६९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना--- धुलिया ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	६,७६,१८,०००		६,७६,१८,०००

	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
ओ-२७	जिला योजना--- जलगांव ।	१४,९९,३३,०००		१४,९९,३३,०००
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।			
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२८	जिला योजना--- अहमदनगर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	१५,५९,०५,०००		१५,५९,०५,०००

	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
ओ-२९	जिला योजना--- नंदुरबार ।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	२,१८,४९,०००	२,१८,४९,०००
		४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
		६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
		६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना--- औरंगाबाद ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	९,३७,७३,०००		९,३७,७३,०००

ओ-३१	जिला योजना--- जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	६,९५,६०,०००		६,९५,६०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३२	जिला योजना--- परभणी ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	९,२०,९३,०००		९,२०,९३,०००

ओ-३३	जिला योजना--- नांदेड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	८,९६,८४,०००		८,९६,८४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३४	जिला योजना--- बीड ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	७,९२,०४,०००		७,९२,०४,०००

४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।		५,४९,०७,०००	५,४९,०७,०००
४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।			
४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।			
५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।			
६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।			
६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।			
६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।			
६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।			
ओ-३५	जिला योजना--- लातुर।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३६	जिला योजना--- उस्मानाबाद ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	८,४७,१७,०००		८,४७,१७,०००

ओ-३७	जिला योजना--- हिंगोली।		
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	४,०३,६०,०००	४,०३,६०,०००
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना--- नागपुर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	१५,९३,४४,०००		१५,९३,४४,०००

ओ-२९	जिला योजना--- वर्धा ।		
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	४,२७,२३,०००	४,२७,२३,०००
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४०	जिला योजना--- भंडारा ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास क्रायक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	३,४३,३९,०००		३,४३,३९,०००

ओ-४१	जिला योजना--- चंद्रपुर ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	१३,१३,१२,०००		१३,१३,१२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना--- गडचिरोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	५,४५,४५,०००		५,४५,४५,०००

ओ-४३	जिला योजना--- गोंदिया ।		
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	६,२१,४६,०००	६,२१,४६,०००
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४४	जिला योजना--- अमरावती ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	६,२६,८३,०००		६,२६,८३,०००

ओ-४५	जिला योजना--- अकोला ।		
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	५,०२,७४,०००	५,०२,७४,०००
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना---यवतमाल।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	१८,७८,७५,०००		१८,७८,७५,०००

ओ-४७	जिला योजना--- बुलढाणा ।		
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय ।	८,०१,००,०००	८,०१,००,०००
	४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।		
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।		
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।		
	६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।		
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४८	जिला योजना---वासिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	२,३७,५०,०००		२,३७,५०,०००

ओ-४९	जिला योजना---पालघर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय । ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय । ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज । ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		४,८२,५८,०००		४,८२,५८,०००
		कुल—योजना विभाग। ..		१६,४०,२१,५५,०००		१६,४०,२१,५५,०००
		आवास विभाग				
क्यू-५	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	१०,००,०००	१०,००,०००
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५,००,०००	...	५,००,०००
		कुल—आवास विभाग ।	..	५,००,०००	१०,००,०००	१५,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-३	लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	..	४,३६,३३,०००	...	४,३६,३३,०००
आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	४,६६,७२,०००	...	४,६६,७२,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग ।	..	९,०३,०५,०००	...	९,०३,०५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	.. ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	७,९१,७०,०००	...	७,९१,७०,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	८०,५३,०००	...	८०,५३,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	..	८,७२,२३,०००	...	८,७२,२३,०००
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२,७३,३०,८०,०००	...	२,७३,३०,८०,०००
टी-७	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना के लिए कर्ज।	६२२५,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज । ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।	..	३१,५५,०००	...	३१,५५,०००
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	९४,२०,०००	...	९४,२०,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	..	२,७४,५६,५५,०००	...	२,७४,५६,५५,०००

पर्यावरण विभाग

यु-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	२,४०,०००	...	२,४०,०००
			कुल—पर्यावरण विभाग ।	..	२,४०,०००	...	२,४०,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।		..	१२,७५,४२,०००	...	१२,७५,४२,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज ।		..	१५,३९,३१,०००	...	१५,३९,३१,०००
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१,५५,४०,०००	...	१,५५,४०,०००
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	२९,७०,१३,०००	...	२९,७०,१३,०००

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग

डब्ल्यू-८	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पंजीगत परिव्यय ।	४२०२, शिक्षा, क्रिड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।		..	३,८३,६१,०००	...	३,८३,६१,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	७,२६,०९,०००	...	७,२६,०९,०००
			कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	..	११,०९,७०,०००	...	११,०९,७०,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ४२३६, पोषण पर पूंजीगत परिव्यय।		..	३५,००,०००	...	३५,००,०००
एक्स-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		..	४३,३३,०००	...	४३,३३,०००
			कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग ।	..	७८,३३,०००	...	७८,३३,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।			४,७६,४२,३१,०००	८३,०००	४,७६,४३,१४,०००
वाय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।..	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१८,०२,०००	...	१८,०२,०००
			कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	..	४,७६,६०,३३,०००	८३,०००	४,७६,६१,१६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग				
जेड क-३	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		५,३०,०००	...	५,३०,०००
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	..	५,३०,०००	...	५,३०,०००
		महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय				
जेड़ ग-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		२५,००,०००	...	२५,००,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	..	२५,००,०००	...	२५,००,०००
		पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड़ घ-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५३,२०,०००	...	५३,२०,०००
		कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य ।	..	५३,२०,०००	...	५३,२०,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड़ ङ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	८,८०,८३,०००	...	८,८०,८३,०००
जेड़ ङ-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		५,६७,०००	...	५,६७,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग ।	..	८,८६,५०,०००	...	८,८६,५०,०००
		मराठी भाषा विभाग				
जेड़ क-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।		२,००,०००	...	२,००,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग।	..	२,००,०००	...	२,००,०००
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	..	५९,९१,२६,३९,०००	१,२५,६६,५१,०००	६१,१६,९२,९०,०००
		कुलयोग।	..	३,४५,३१,४७,६२,०००	५,४५,७६,२७,०००	३,५०,७७,२३,८९,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०६ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में राज्य की समेकित निधि में से राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने तथा वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के एक भाग के दौरान अनुमानित व्यय के लिए विधानसभा द्वारा अनुदत्त अग्रिम के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुर:स्थापित किया जाता है ।

रकमें नीचे दर्शायी गई हैं :—

		रुपये
(क) राजस्व व्यय	. .	२,८९,६०,३०,९९,०००
(ख) पूंजीगत व्यय	. .	६१,१६,९२,९०,०००
	कुल . .	३,५०,७७,२३,८९,०००

मुंबई,
दिनांकित २५ मार्च २०१५ ।

सुधीर मुनगंटीवार,
वित्त मंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.